FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प रामासनी

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
महेन्द्र		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–180/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.12.2021	प्रार्थी महेन्द्र, रमेश, राजुराम पिसरान पुखराज जातियान सरगरा निवासीगण रामासनी तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प रामासनी में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 93/5 रकबा 0.2751 हैक्टेयर तथा ग्राम शिवनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 473/6 रकबा 1.3267 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 489/10 रकबा 0.4045 हैक्टैयर है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता पुखराज पुत्र जैठाराम की थी। पुखराज का देहान्त हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण स्वीकृत किया गया। उस फौतेदगी नामान्तकरण में प्रार्थीगण के पिता का नाम पुखराज के बजाय पुकाराम (पुरखाराम)लिख दिया गया जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम पुखराज है तथा सरकारी दस्तावेज भी पुखराज के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि [illegible] भूमि में महेन्द्र पुत्र पुरखाराम, रमेश पुत्र पुरखाराम, राजु[illegible] पुरखाराम (पुकाराम) के स्थान पर महेन्द्र पुत्र [illegible], रमेश [illegible] राजुराम पुत्र पुखराज की खातेदारी [illegible] की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी [illegible], रमेश, राजुराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी महेन्द्र का आधारकार्ड,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:28 IST
Reason: SelfAttested

पहचान पत्र, रमेश का आधारकार्ड, पहचान पत्र, राजुराम का आधारकार्ड, पहचान पत्र तथा पहचान पत्र पुखराज पुत्र जेठाराम, जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 473/6, 489/10 ग्राम रामासनी (महेन्द्र, रमेश, राजराम पिसरान पुकाराम), जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 93/5 ग्राम शिवनगर (महेन्द्र, रमेश, राजुराम पिसरान पुकाराम) आदि पेश किये है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत रामासनी द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादीगण ने मजमा आम में निवेदन किया कि हमारा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में महेन्द्र पुत्र पुरखाराम, रमेश पुत्र पुरखाराम, राजुराम पुत्र पुरखाराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण हमारा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम महेन्द्र पुत्र पुखराज, रमेश सरगरा पुत्र पुखराज, राजुराम पुत्र पुखराज के बजाय महेन्द्र पुत्र पुरखाराम, रमेश पुत्र पुरखाराम, राजुराम पुत्र पुरखाराम (पुकाराम) दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 93/5 रकबा 0.2751 हैक्टेयर तथा ग्राम शिवनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 473/6 रकबा 1.3267 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 489/10 रकबा 0.4045 हैक्टेयर में महेन्द्र पुत्र पुरखाराम, रमेश पुत्र पुरखाराम, राजुराम पुत्र पुरखाराम (पुकाराम) के स्थान पर **महेन्द्र पुत्र पुखराज, रमेश सरगरा पुत्र पुखराज, राजुराम पुत्र पुखराज** जातियान सरगरा निवासीगण रामासनी तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम रामासनी में खुले में सुनाया गया।

Signature Not Verified

खण्ड अधिकारी

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:28 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प रामासनी

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
महेन्द्र पुत्र पुखराज रमेश सरगरा पुत्र पुखराज राजूराम पुत्र पुखराज जातियान सरगरा निवासीगण रामासनी तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 180 / 2021

निर्णय **दिनांक** :– 01.12.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर [illegible] जाता है कि ग्राम ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 93/95 रकबा 0.2751 हैक्टेयर तथा ग्राम शिवनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 473/6 रकबा 1.3267 हैक्टेयर, [illegible] नम्बर 489/10 रकबा 0.4045 हैक्टेयर में महेन्द्र पुत्र पुरखाराम, रमेश पुत्र पुरखाराम, राजुराम पुत्र पुरखाराम (पुकाराम) के स्थान पर **महेन्द्र पुत्र पुखराज, रमेश सरगरा पुत्र पुखराज, राजुराम पुत्र पुखराज** जातियान सरगरा निवासीगण रामासनी तहसील बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:28 IST
Reason: SelfAttested

की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.12.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:28 IST
Reason: SelfAttested